Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

फ़रवरी-मार्च 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

26/02/2024 से 03/03/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	रायसीना डायलॉग का नौवां संस्करण : वैश्विक स्तर एक महान शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत	1 - 7
2.	वर्तमान भारत में चुनाव प्रणाली में सुधार की प्रासंगिकता	7 - 15
3.	अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रमों में एक नई कामयाबी की ओर बढ़ता भारत	16 - 21
4.	सामाजिक समूहों के लिए आरक्षण और कानून : मराठा आरक्षण विधेयक 2024	21 - 27
5.	अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 – 23	27 - 33
6.	प्रवर्तन निदेशालय और भारत का संघीय स्वरुप	33 - 41

करंट अफेयर्स
फ़रवरी-मार्च 2024

रायसीना डायलॉग का नौवां संस्करण : वैश्विक स्तर एक महान शक्ति के रूप में उभरता हुआ भारत

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – पेपर – 2 अंतर्राष्ट्रीय – संबंध, भारत की विदेश नीति , भारत और ग्रीस रणनीतिक – साझेदारी, रायसीना – डायलॉग, भारत – मध्य पूर्व – यूरोप आर्थिक गलियारा, बाल्टिक – नॉर्डिक फोरम, G -7 या ब्रिक्स -10 , G -20 समूह ।

खबरों में क्यों ?

- **हाल ही में भारत में 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में तीन दिवसीय 'रायसीना डायलॉग' के नौवें संस्करण का आयोजन किया गया था ।**
- रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया था. जिसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे।

- रायसीना डायलॉग भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत द्वारा आयोजित होने वाला एक प्रमुख सम्मेलन है।
- रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- वर्ष 2024 में आयोजित हुए इस संस्करण का मुख्य विषय – **' चतुरंगा : संघर्ष, प्रतिद्वन्द्विता, सहयोग, सृजन '** है।
- भारत में आयोजित इस रायसीना डायलॉग के तीन दिवसीय संवाद – बैठक में विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों और वित्त मंत्रियों, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों, सैन्य कमांडरों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और विद्वानों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था।
- इस बैठक में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि – **" भारत वैश्विक स्तर पर एक महान शक्ति है और भारत वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी देश भी है। "**
- उन्होंने यह भी कहा कि – **" भारत जी-20 संगठन में एक उभरती हुई शक्ति है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली खतरों की लड़ाई में एक अग्रणी और महत्वपूर्ण देश है। "**
- उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भारत और ग्रीस दोनों देशों के बीच के आपसी साझेदारी को और मजबूत करने का आग्रह किया।
- इस आयोजन का उद्घाटन करने वाले ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने **भारत – मध्य पूर्व – यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं** के महत्व के बारे में बात की। **ग्लोबल गवर्नेंस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शीर्ष पर गैर बराबरी और उसमें सुधार की जरूरत पर भी चर्चा की गयी।**
- ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि – **" आज दोनों देशों के बीच साझेदारी का उत्सव मनाने का समय हैक्योंकि यह दोनों देशों के बीच एक साझेदारी है जो समान मूल्यों को साझा करते हैं और यह साझेदारी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच का संबंध का है।"**
- वर्ष 2023 में G-20 की मेजबानी में भारत की भूमिका और भारत द्वारा इसका सफलतापूर्वक निर्वहन का भी रायसीना डायलॉग में बार-बार जिक्र किया गया। ब्राजील में जी-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के चलते, सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य, महत्वपूर्ण G-7 या ब्रिक्स-10 देशों से किसी वरिष्ठ मंत्री स्तर की उपस्थिति नहीं हो सकी थी ।
- मध्य और पूर्वी यूरोप से बड़ा मंत्रीय दल मौजूद रहा, जिसमें बाल्टिक-नॉर्डिक फोरम के सभी मंत्री शामिल थे। इसने सरकार के लिए एक नई राजनयिक संलग्नता को संभव बनाया जो यूरोप के इस हिस्से के साथ व्यापारिक समझौतों और निवेश संबंधों की तलाश कर रही है। इस हिस्से की अक्सर अनदेखी की जाती है, पर यह आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी है।

रायसीना डायलॉग के नौवें संस्करण 2024 का मुख्य विषय :

रायसीना डायलॉग के नौवें संस्करण 2024 का छह मुख्य विषय निम्नलिखित है –

1. पीस विद प्लेनेट : निवेश और नवप्रवर्तन ।
2. लोकतंत्र की रक्षा : समाज और संप्रभुता ।
3. युद्ध और शांति : शस्त्रागारऔर विषमताएं।
4. टेक फ्रंटियर्स : विनियम और वास्तविकताएँ।
5. बहुपक्षीय संस्थाओं की उपनिवेशवाद से मुक्ति और समावेशन ।
6. वर्ष 2030 के बाद का एजेंडा : लोग और प्रगति ।

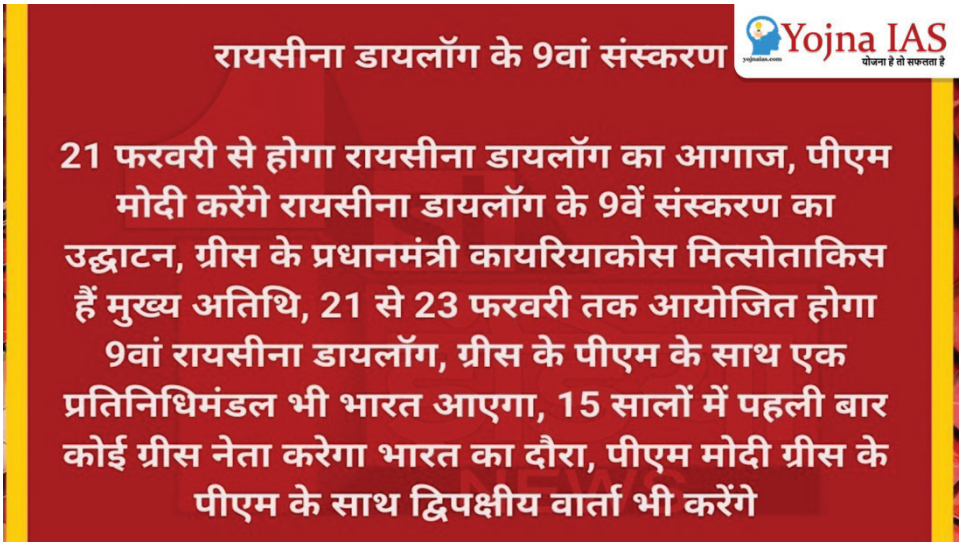

रायसीना डायलॉग का परिचय:

- नई दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के साउथ ब्लॉक में भारत के विदेश – मंत्रालय का मुख्यालय अवस्थित है। अतः भारत के नई दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी के नाम पर ही इस बैठक को ' रायसीना डायलॉग ' के नाम से जाना जाता है।

रायसीना डायलॉग का महत्व :

- भारत में वर्ष 2016 में रायसीना डायलॉग का प्रारंभ नई दिल्ली में किया गया था।
- यह भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन **भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation- ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।**
- यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है।
- **भारत में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation- ORF) की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जो एक ' स्वतंत्र थिंक टैंक ' के रूप में कार्य करता है।**

रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य :

- रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ – ही – साथ विश्व के शेष देशों के साथ एशिया के साथ बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।
- रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध होने वाला मंच है।
- विश्व भर के नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित वैश्विक नेताओं को प्रति वर्ष व्यापक अं-तर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के किए रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है।

भारत को रायसीना डायलॉग से प्राप्त होने वाला लाभ :

- रायसीना डायलॉग सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न स्थितियों और मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- रायसीना डायलॉग से भारत सरकार की कूटनीतिक क्षमता में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- "रायसीना डायलॉग' में विदेश नीति पर चर्चाओं में विभिन्न अन्य देशों के शामिल नहीं होने के कारण विदेश नीति के संदर्भ में विविधता का अभाव था, लेकिन इस बैठक में हुई बातचीत का बड़ा हिस्सा वैश्विक संघर्षों पर ही केंद्रित

रहा था ।

- यूरोप के गणमान्य व्यक्तियों की भारी उपस्थिति में यूक्रेन में रूसी युद्ध की ओर खास तौर पर ध्यान दिलाया गया और सैन्य व नौसैन्य रणनीति पर पैनलों ने आक्रामक चीन की विस्तारवादी नीति से निपटने की जरूरत की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित किया।
- "रायसीना डायलॉग' में हुई चर्चाओं में संतुलन की कोई कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि न तो रूस ही और न ही चीन को ही इस बैठक में आमंत्रित किया गया था।
- दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, और यहां तक कि दक्षिण एशिया (नेपाल और भूटान को छोड़कर) से भी न्यूनतम उपस्थिति थी।
- लोकतंत्र से संबंधित पैनलों ने स्वतंत्रताओं में गिरावट को लेकर भारत के भीतर जीवंत बहसों से स्वाभाविक रूप से परहेज किया, लेकिन इस विमर्श में गैर-सरकारी सिविल सोसाइटी संगठनों की गैरहाजिरी ने उन चुनौतियों पर संकीर्ण दृष्टि निर्मित की जिनका सामना दुनियाभर के लोकतंत्र कर रहे हैं।
- गाजा में इजराइली युद्ध पर भी कोई उल्लेखनीय चर्चा नहीं हुई । इसका अर्थ विदेश नीति से जुड़े चिंतन के लिए भारत के इस विशिष्ट मंच पर चर्चाओं में विविधता की कमी भर नहीं है, बल्कि यह भारत के विदेश मंत्री एस. जय-शंकर की इस अन्यथा दुरुस्त टिप्पणी के महत्व को कम करती हैं कि रायसीना डायलॉग – **' ग्लोबल पब्लिक स्क्वॉयर' का 'मेड इन इंडिया' संस्करण '** बन गया है।
- भारत और ग्रीस दोनों ही देशों का वैश्विक चुनौतियों पर स्वाभाविक रूप से एक समान दृष्टिकोण है। जैसे-जैसे भारत विदेशों में अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है, ग्रीस भारत के लिए एक अनुकूल गंतव्य देश के रूप में उभरा है।
- भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारत की दिन – ब – दिन बढ़ती रुचि और भारत की सक्रियता भारत की कूटनीतिक स्तर पर निरंतर वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो भारत – ग्रीस के आपसी कूटनीतिक और व्यापारिक साझेदारी के लिए एक आधार – स्तंभ के रूप में काम करेगी।
- भारत पहले से ही ग्रीस के बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है। इनमें नए हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है। अतः भारत और ग्रीस दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ ही रहा है।
- ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ विकास कर रही अर्थव्यवस्था है। ग्रीस ने पिछले वर्षों में किसी भी यूरोपीय देश की तुलना में सबसे तेज़ विकास दर हासिल की है। अतः भारत और ग्रीस के बीच का आपसी निवेश हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख लक्ष्य है।
- श्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी रायसीना डायलॉग बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दो सभ्यतागत देशों के रूप में, भारत और ग्रीस की मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के विकास में योगदान का विशेष दायित्व है।
- दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, और यहां तक कि दक्षिण एशिया के देशों जैसे – नेपाल और भूटान को छोड़कर, अन्य देशों की न्यूनतम उपस्थिति थी। इस बैठक में दक्षिणी एशियाई देशों की एक बड़ी उपस्थिति से ज्यादा विविधता भरा रुख सामने आता और उक्त संघर्षों से वे किन दबावों का सामना कर रहे हैं, इसका भी पता चलता और यथासंभव उन समस्याओं का समाधान रायसीना डायलॉग के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. रायसीना डायलॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. रायसीना डायलॉग एक चतुर्थ वर्षीय बैठक कार्यक्रम है। जिसका आयोजन हर चार वर्ष में नई दिल्ली में किया जाता है।
2. वर्ष 2024 में आयोजित हुए इस संस्करण का मुख्य विषय – ' चतुरंगा : संघर्ष, प्रतिद्वन्द्विता, सहयोग, सृजन ' है।
3. भारत में वर्ष 2016 में रायसीना डायलॉग का प्रारंभ नई दिल्ली में किया गया था।
4. रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फा-उंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 4

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) केवल 2 और 4

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. रायसीना डायलॉग के नौवें संस्करण के मुख्य विषय को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि वैश्विक स्तर पर बदलते भू – कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों के संदर्भ में रायसीना डायलॉग किस प्रकार प्रासंगिक है ?

वर्तमान भारत में चुनाव प्रणाली में सुधार की प्रासंगिकता

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारत की राजनीति एवं शासन व्यवस्था , उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग , भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त , चुनाव सुधार की वर्तमान प्रासंगिकता, वन नेशन वन इलेक्शन, भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ एवं आयोग।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही भारत में एक ओर जहाँ भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भारत में ' एक राष्ट्र – एक चुनाव ' की आवश्यकता पर बहसों का बाजार गर्म है वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ मेयर के चुनाव मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 फरवरी, 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी.वाई.चंद्रचूड़ द्वारा सुनाया फैसला भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के तहत चुनाव सुधार की अवधारणा को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने 20 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को पलट दिया और आप

-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ शहर का नया मेयर घोषित कर दिया है। इसके साथ – ही – साथ भारत के उच्चतम न्यायालय ने 30 जनवरी के मेयर के चुनाव के संचालन में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद, चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी, अनिल मसीह, जो कि एक बीजेपी नेता हैं, पर कदाचार के लिए मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने 30 जनवरी को विवादास्पद मेयर चुनावों की अध्यक्षता करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिनके द्वारा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आठ मतपत्रों का "विरूपण" सुरक्षा कैमरों में पकड़ा गया था।
- रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के "गुप्त" आचरण ने चुनावी नतीजों को भाजपा के मनोज सोनकर के पक्ष में मोड़ दिया था। मतदान के दिन के मतपत्रों और वीडियो रिकॉर्ड को ज़ब्त करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने 5 फरवरी को हस्तक्षेप किया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा माना हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुलदीप कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य (जिसे चंडीगढ़ मेयर के चुनाव मामले के रूप में भी जाना जाता है) के मामले में कहा कि – **"भारत में स्थानीय भागीदारी स्तर पर चुनाव देश में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संरचना के सूक्ष्म जगत के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए, इस पूरी प्रक्रिया में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, प्रतिनिधि लोकतंत्र की वैधता और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। "**

वर्तमान समय में भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता का महत्वपूर्ण कारण:

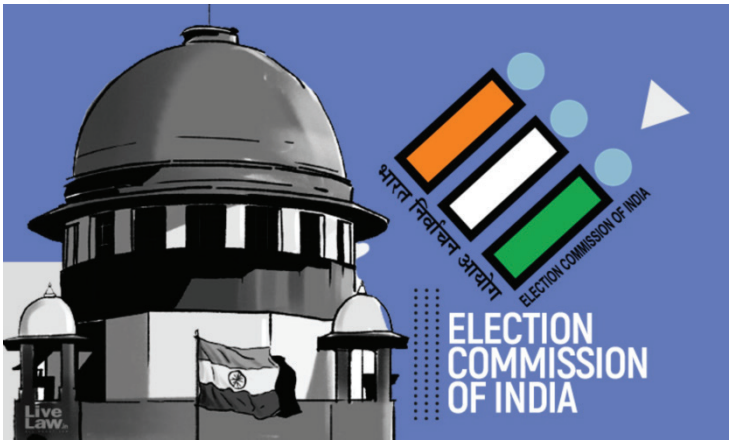

भारत में चुनाव – सुधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण कमियां हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. **राजनीतिक दबाव :** चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव के कारण निर्वाचन अधिकारियों को अनुचित रूप से प्रभावित होना पड़ता है, जिससे वे अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखने में सक्षम नहीं रहते।
2. **सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग :** भारत में सत्तारुढ़ दलों द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग चुनावों में सामान्य हो गया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता की कमी होती है।
3. **मतदाता सूची की अपूर्णता :** चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची की अपूर्णता के कारण कई नागरिक अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता में कमी होती है।
4. **निर्दलीय उम्मीदवारों की समस्या :** चुनावी प्रक्रिया में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता होने से वोट कास्ट करने में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
5. **चुनाव के दौरान जाली और फर्जी मतदान का होना :** जाली और फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, जिससे निष्पक्षता में कमी हो रही है।
6. **भारत में चुनावी अवसंरचना की कमी होना :** चुनाव से पूर्व तक अवसंरचना में पर्याप्त व्यवस्था की कमी है, जो निर्वाचन आयोग को अपने कार्यों को सही ढंग से संचालित करने में बाधित कर रही है।
7. **चुनाव के दौरान विपक्षी दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना :** सत्तारुढ़ दलों के प्रति विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव सुधार की आवश्यकता है ताकि भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में निहित चुनावी प्रक्रिया में संतुलन बना रह सके।
8. **डिजिटलीकरण और तकनीकी सुधार :** चुनाव प्रक्रिया में डिजिटलीकरण और तकनीकी सुधार के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को और भी निष्पक्ष , स्वतंत्र , सुरक्षित और सहज बनाया जा सकता है।

इन सुधारों के माध्यम से, भारत में चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, निष्पक्ष, और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है।

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक :

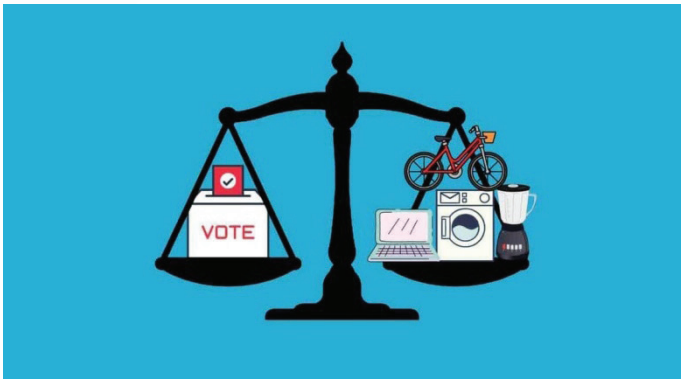

1. **उम्मीदवारों का अपना आपराधिक रिकॉर्ड :** भारत में बहुसंख्यक उम्मीदवार अपने पारदर्शीता और आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर जानकारी नहीं प्रदान करते हैं, जिससे वाग्दानिक चयन करना मुश्किल होता है।
2. **भारत में चुनाव के दौरान धन की बढती भूमिका :** भारत में अक्सर चुनावों के दौरान चुनावी व्यय में दिन – ब- दिन होने वाली बढ़ोतरी होने के कारण सामान्य नागरिकों को वोटिंग प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि

चुनावों के दौरान बहुत अमीर उम्मीदवारों को चुनौती देना ही मुमकिन नहीं होता है।

3. **बाहुबल का बढ़ता प्रयोग :** भारत में चुनावों के दौरान चुनाव में जीत प्राप्त करने के लिए अधिकतर उम्मीदवार और उनसे संबंधित राजनीतिक दल बाहुबल का सहारा लेते हैं, जिसमें हिंसा, धमकी, और बूथ कैप्चरिंग जैसी प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

4. **आपराधिक राजनीति का बढ़ता प्रचलन :** अपराधी व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश करने का अवसर मिलता है, जहां वे अपने मामलों को समाप्त करने या कार्यवाही से बचने के लिए प्रयास करते हैं।

5. **जातिवाद और साम्प्रदायिक राजनीति :** जातिवाद और साम्प्रदायिक धाराओं के आधार पर चयन होने से समाज में भिन्नता और असमानता बढ़ती है, जिससे निष्पक्षता की भावना कमजोर हो सकती है।

6. **निर्दलीय उम्मीदवारों का उतारा जाना :** मजबूत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी दल निर्दलीय उम्मीदवारों को बड़े पैम्बर पर उतारते हैं, जिससे वे अपने वोट काट सकते हैं।

7. **सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद :** भारत में स्वतंत्रता के बाद होने वाली राजनीति में , सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद ने राजनीतिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया और भारत के बहुलवादी सामाजिक विचारधारा को खतरे में डाला है।जिससे भारत की राजनीति में चुनावों के दौरान सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद के आधार पर मतदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिससे भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

- **इन सभी कारकों को एकसाथ मिलाकर भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को सुधारने की आवश्यकता है ताकि भारतीय नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सच्चे और प्रभावी चयन का मौका मिले।**

भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ एवं आयोग :

1. **तारकुंडे समिति (वर्ष 1974-75) :** इस समिति ने चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विभिन्न पहलुओं पर जाँच की।

2. **चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (वर्ष 1990) :** इस समिति ने चुनाव सुधार की दिशा में सुझाव दिए और चुनाव प्रक्रिया में विशेष बदलाव की जरूरत को बताया।

3. **राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति (वर्ष 1993) :** इस समिति ने राजनीतिक अपराधों और कारणों की जाँच करके चुनावी प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिए।

4. **चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998) :** इस समिति ने चुनावों में वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों पर जाँच की और सुधार के सुझाव दिए।

5. **चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1999) :** इस आयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

की और नए चुनावी नियमों की सिफारिशें की।

6. **चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2004) :** चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट के माध्यम से चुनाव सुधारों की जरूरत पर चर्चा की और नए तकनीकी उपायों की सिफारिशें की।

7. **शासन में नैतिकता पर वीरप्पा मोइली समिति (वर्ष 2007) :** इस समिति ने शासन में नैतिकता पर जाँच की और राजनीतिक नेताओं की ईमानदारी और नैतिकता पर सुझाव दिए।

8. **चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार पर तनखा समिति (वर्ष 2010) :** इस समिति ने चुनाव सुधार के क्षेत्र में तनखा और निर्वाचन क्षेत्र के कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए सुझाव दिए।

- **भारत में उपरोक्त समितियों और आयोगों के सुझावों के आधार पर, विभिन्न समयों में विभिन्न चुनाव सुधार कार्यक्रमों को शुरू किया गया है जिसने भारत में चुनाव प्रणाली और उससे संबंधित मशीनरी को सुरक्षित, निष्पक्ष, और पारदर्शी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।**

भारत में वर्ष 2000 से पूर्व हुए चुनाव सुधार :

- भारतीय संविधान के **61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989** के तहत मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था।
- चुनावी अधिकारियों को चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाना शुरू हुआ।
- नामांकन पत्रों की संख्या में 10 फीसदी का इजाफा किया गया।
- राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध लगाया गया।
- दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध लगाया गया

भारत में वर्ष 2000 के बाद हुए चुनाव सुधार :

- भारत में वर्ष 2000 के बाद के कालखंड में भारत में होने वाले चुनावों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग प्रचलन में आया, जिसका उद्देश्य भारतीय चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और सटीक बनाए रखना था ।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगलुरू) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (हैदराबाद) के सहयोग से EVM को तैयार किया गया।
- दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन करके EVM के उपयोग का अधिकार दिया गया।
- पहली बार EVM का प्रयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों में किया गया था।
- भारत में वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में EVM का प्रयोग हुआ।

भारत में वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समाहित करके भारतीय चुनाव प्रणाली को महत्वपूर्ण सुधार किए थे । जो निम्नलिखित है –

एक्जिट पोल पर प्रतिबंध :

- भारत में केन्द्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मीडिया समूहों या अख़बार समूहों द्वारा कराए जाने वाले एक्जिट पोल को मतदान की शुरुआत से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंधित कर दिया है।
- भारत में चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने से चुनाव प्रक्रिया को न्यायसंगत और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर सीलिंग लगाना :

- भारत में लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है ताकि उम्मीदवारों के बीच न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा हो।
- भारत में चुनावी खर्च की यह सीमा बड़े और छोटे राज्यों के लिए अलग-अलग है ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त हों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को न्यायसंगत , स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न काव्य जा सके।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करना :

- भारत में सरकारी कर्मचारियों और सभी भारत की सेना में कार्यरत सैनिकों और सभी प्रकार अर्धसैनिक बलों या अन्य बालों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की इस प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त है।

चुनाव आयोग द्वारा जनता में मतदान के प्रति जागरूकता का प्रसार करना :

- भारत में चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है ताकि युवा मतदाता चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सके।
- भारत में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान प्राप्त होने वाली चुनावी चंदे की जानकारी को चुनाव आयोग को प्रदान करना अनिवार्य है।

चुनाव में नोटा का उपयोग :

- भारत में चुनावों में नोटा विकल्प के उपयोग की व्यवस्था को वर्ष 2013 से लागू किया गया है, जिससे भारत के मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने का विकल्प मिलता है।

मतदाता निरीक्षण पेपर का ऑडिट ट्रायल :

- भारत में मतदाता निरीक्षण पेपर का ऑडिट ट्रायल नामक इस प्रणाली के माध्यम से मतदाता अपने मत की सत्यापन कर सकते हैं और उम्मीदवार के पक्ष में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत में इस प्रक्रिया के तहत मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है।

चुनाव में विभिन्न आधुनिक तकनीकी का प्रयोग :

- भारत में निर्वाचकों के लिए कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण और तकनीकी सुधारों के माध्यम से फर्जी और डुप्लीकेट इंट्री या मतदान करने को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं।
- चुनाव के दौरान ऑनलाइन संचार प्रणाली कोमेट का उपयोग कर चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी और सुरक्षा करने का कार्य किया जाता है।
- भारत में आम चुनावों के दौरान GPS तकनीकी का उपयोग करके मतदान केंद्रों की वास्तविक समय (रियल-टाइम) निगरानी की जा रही है।

इन प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से भारत में चुनाव सुधार की दिशा में प्रक्रियागत रूप से चुनावों में स्वतंत्रता, न्यायसंगतता, और निष्पक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय निर्वाचन पद्धति की आलोचना :

भारत में प्रथम पास द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि के चुनावों की पद्धति को लेकर कई आलोचनाएं उठाई जा रही हैं। चुनाव प्रक्रिया की इस पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण दोष निम्नलिखित है –

वोट की संभावनाएं और प्रतिनिधित्व पद्धति की आलोचना :

- भारत में वर्तमान चुनाव प्रक्रिया की इस पद्धति में, किसी सीट पर सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला उम्मीद-वार ही चुनाव जीतता है, जिसके कारण यह हो सकता है कि एक राजनीतिक दल विभिन्न समूहों के बीच बांट दे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व स्थान पर नहीं हो। इससे सामूहिक न्याय की स्थिति में असमानता बढ़ सकती है।

व्यक्तिगत विजय और राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के बीच का संबंध :

- भारत में चुनावों के दौरान कई बार यह देखा गया है कि एक पार्टी को प्राप्त कुल मतों में सबसे ज्यादा वोट मिलने

के बावजूद उसके एक भी सदस्य को सीट नहीं मिलती है। इससे व्यक्तिगत विजय का सिद्धांत खतरे में हो सकता है और राजनीतिक पार्टियों के बीच का आपसी संबंध हो सकता है।

बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक और सामुदायिक वर्गों की अनदेखी :

- भारत में होने वाले आम चुनावों में राजनीतिक दलों को वोट मिलने के बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ समूहों की आवाज़ सदन में अनसुनी रह सकती है। इससे बहुसख्यक या कभी – कभी अल्पसंख्यक वर्गों या सामुदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता और उनके मुद्दों पर सदन का ध्यान नहीं जाता है । इसे एक तरह से बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक और सामुदायिक वर्गों की अनदेखी के रूप में भी देखा जाता है ।

निष्कर्ष / आगे की राह :

चुनावी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता :

- भारत में वर्तमान समय में अपनाए जा रहे चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि प्रतिनिधित्व में अधिक से अधिक समर्थ और सामूहिक न्याय की स्थिति में सुधार हो सके।

चुनावों में धर्म पर आधारित धार्मिक नारे और धार्मिक स्थलों पर जाने से रोक लगाना :

- भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनावी प्रचार में धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि भारत में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सके।

फेक न्यूज़ या पेड न्यूज के खिलाफ सख्ती :

- भारत में चुनाव सुधारों के तहत चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए ताकि चुनाव के दौरान जनता के जनमत को सही और विश्वसनीय जानकारी मिल सके और चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का विनियमन:

- भारत में चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर जारी खबरों की गुणवत्ता की निगरानी करने और फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए आचार संहिता को लागू करना चाहिए, ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

वन नेशन वन इलेक्शन' मुद्दे पर विचार-विमर्श की ओर ध्यान आकृष्ट करना :

- भारत में चुनाव सुधार की दिशा में विभिन्न समूहों के बीच विचार-विमर्श करने के लिए **'वन नेशन वन**

इलेक्शन' मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श आयोजित करना चाहिए ताकि सभी समूहों का समर्थन प्राप्त हो सके।

इन प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, सामर्थ्य-पूर्ण और सामूहिक न्यायपूर्ण सुनिश्चित हो सके , जिससे भारतीय लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य मजबूत हो सकता है और भारत के चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार संभव हो सकता है ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनाव सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में राजनीतिक दबाव के कारण निर्वाचन अधिकारियों को अनुचित रूप से प्रभावित होना पड़ता है, जिससे वे अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखने में सक्षम नहीं रहते।
2. वर्ष 1993 में गठित वोहरा समिति ने भारत में चुनाव के दौरान राजनीतिक अपराधों और उसके कारणों की जाँच करके चुनावी प्रक्रिया में सुधार का सुझाव दिया था।
3. भारत में प्रथम पास द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि के चुनावों की पद्धति को अपनाया गया है ।
4. भारत में दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ने का प्रतिबंध लगाया गया है ।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 4

(B) केवल 1 और 3

(C) इनमें से कोई नहीं ।

(D) इनमे से सभी ।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत की वर्तमान चुनाव – प्रक्रिया में निहित दोषों को रेखांकित करते हुए भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार की वर्तमान प्रासंगिकता पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रमों में एक नई कामयाबी की ओर बढ़ता भारत

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , चंद्रयान-3, लूना 25 मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रूस का रोस्कोस्मोस, भारत की वर्तमान अंतरिक्ष नीति।

ख़बरों में क्यों ?

- अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के इतिहास में दूसरी बार चंद्रमा पर उतरने की रफ्तार में तेजी आ रही है।
- इस बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने की तैयारी में अनेक देशों की भागीदारी और उनकी सफलता की नई गाथा हमारे समक्ष है।
- चंद्रयान-3 की सॉफ्ट-लैंडिंग ने इस बार यह दिखया है कि अंतरिक्ष अनुसंधान एवं उड़ान प्रदाता के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की अंतरिक्ष अनुसंधान में शामिल प्रौद्योगिकियों व प्रक्रियाओं की समझ और उसके द्वारा चुने गए सभी विकल्प सही हैं और भारत औपनिवेशिक काल की मानसिकता से बाहर निकलकर एक प्रभावशाली देश के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने आप को स्थापित किया है।
- लूना 25 मिशन में मिली असफलता ने रूस के रोस्कोस्मोस को उसकी अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकियों व प्रक्रियाओं की समझ और उसमें की गई गलतियों से काफी कुछ सीखने की राह को प्रशस्त किया होगा क्योंकि रूस के रोस्कोस्मोस एक ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में विख्यात है जिसने इससे पूर्व भी अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में शानदार बुलंदियां हासिल की थी और लूना 25 मिशन में उसके हिस्से आई असफलता ने उसकी विश्वसनीयता को घटा रही है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने नासा के द्वारा अपने शुरुआती वर्षों में अंतरिक्ष सेवा प्रदाताओं की कामयाबी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ यह तथ्य आईएम के मामले में भी सच है।
- आईएम ने नासा के कमर्शियल चंद्र पेलोड सर्विसेज (सीएलपीएस) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपने ओडीसियस लैंडर को चंद्रमा पर लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के जरिए नासा चंद्रमा पर जाने वाले वाणिज्यिक मिशनों पर लगे उपकरणों को इस में उम्मीद में वित्त पोषित कर रही है कि उनके निष्कर्ष इस प्राकृतिक उपग्रह पर एजेंसी की मुमकिन वापसी को आसान बना देंगे।

- आईएम के ओडीसियस के सफर में लैंडर के उतरने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके नेवि-गेशन उपकरणों में गड़बड़ी हो गई जिससे आईएम के इंजी-नियरों को जल्दी से एक उपाय करने एवं यान में उपलब्ध एक प्रयोगात्मक नासा उपकरण का सहारा लेने का निर्देश भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। हॉट-फिक्स के बाद, ओडीसियस की सॉफ्ट लैंडिंग पूरी हुई लेकिन उस यान और पृथ्वी पर मौजूद एंटीना के बीच कमजोर डेटा लिंक के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है ।

- आईएम के अनुसार संभवतः ओडीसियस यान उल्ट गया था लेकिन नासा के छह पेलोड सहित इसके अधिकांश पेलोड और सौर पैनल पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा ।
- सीएलपीएस कार्यक्रम के लिए भविष्य में आईएम की यह कामयाबी इसे और अधिक विस्तारित करने में सहायता प्रदान कर सकती है।
- सीएलपीएस से जुड़े मिशनों में नासा की भूमिका दिलचस्प लैंडिंग साइटों को चिन्हित करने और कुछ पेलोड प्रदान करने तक ही सीमित है।
- वर्ष 2020 तक, इसने 14 विभिन्न कंपनियों को इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए तैयार किया था। जिसमें तक़-रीबन 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्चे का बजट भी शामिल था।
- किसी भी देश में ऐसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के आपस में हस्तांतरण को संभव बनाने में अमेरिका की तरह ही एक स्वस्थ एवं विविधतापूर्ण निजी अंतरिक्ष सेवा की जरुरत है।
- संपूर्ण विश्व में अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के मामले में आईएम की सफलता का यही अर्थ हैं।

वर्तमान में इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और महत्वपूर्ण पहल :

- भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी अद्वितीय पहचान बनाते हुए अपने अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रमों में एक नई कामयाबी की ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होने में सफलता प्राप्त की है।
- भारत द्वारा अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रमों में पाई गई सफलता का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और उसके समर्पित टीमों को जाता है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रमों के तहत नवाचार, कुशलता, और नित नए प्रयोग के द्वारा भारत को अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रमों के सबसे उच्चतम मानदंड को प्राप्त करने में निरंतर सहयोग कर रहा है।

इसरो का अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान स्थापित करना :

- भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ISRO के माध्यम से अंतरिक्ष में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान स्थापित किया है। भारत पृत्वी की सतह से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र तक में, भारत ने सफलतापूर्वक अपनी पहचान स्थापित किया है।
- भारत आज इसरो के माध्यम से चंद्रयान, मंगलयान, एवं अन्य नवीनतम एवं आधुनिक उपग्रहों के माध्यम से भारत ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पहुचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

इसरो का अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना :

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम ने आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम बदलाव किया है। स्वदेशी उपग्रहों, निर्माण और अच्छी तकनीकी संभावनाओं के साथ, भारत ने विश्व बाजार में अपना स्थान बनाया है।

भारत में इसरो द्वारा समृद्ध तकनीकी एवं नवीन उर्जा प्रणालियों का उपयोग करना :

- भारतीय अंतरिक्ष मिशनों ने अपने अनुसंधान के लिए नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए की नवीन ऊर्जा प्रणालियों, तकनीकी समृद्धि, और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अनेक मानदंड स्थापित किए हैं। इसने अंतरिक्ष में उपग्रहों और रोकेट प्रौद्योगिकी में नए क्षेत्रों की खोज और विकास के लिए दृढ़तापूर्वक अंतरिक्ष के क्षेत्र में दृढ प्रतिज्ञ है।

भारत का वैश्विक स्तर पर आपसी सहयोग विकसित करना :

- भारत ने अंतरिक्ष में अनुसंधान के क्षेत्र में मिली सफलता को अपने वैश्विक साथी देशों के साथ आपस में भी साझा किया है और भारत द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित नई उडान और सफलता में उसके वैश्विक सहयोगी देशों का भी हुआ है। भारत ने विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में सहयोग और सम्बन्धों को मजबूत किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में इसरो ने सफलता के नए मानक तय किए हैं :

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में इसरो ने सफलता के नए मानक तय किए हैं और विश्व को अपनी अं-तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के क्षेत्र में अद्वितीय क्षमताओं का विस्तारपूर्वक परिचय दिया है । यह साबित करता है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अग्रसर है। यही कारण है कि भारत आज अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और सम्मानीय नाम है और भारत का इसरो निरंतर रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में भविष्य के लिए आने वाली अगली ऊंचाइयों की ओर निरंतर अग्रसर है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भारत ने हाल ही में शत – प्रतिशत स्वचालित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को

मंजूरी दे दी है, जिससे आने वाले भविष्य में भारत में इसरो के सामने उपस्थित चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए भारतीय स्टार्ट-अप के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त होगा।

- अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करना एक ऐसा कार्य है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों / देशों को एक – दूसरे के साथ व्यापक और आपसी सहयोग की जरुरत है।
- अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भारत का कद बढ़ने से इसरो की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान भी स्थापित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि आज भारत विज्ञान और तकनीक में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से समर्पित तो है ही , साथ – ही – साथ यह भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान डे रहा है।
- आज भारत का अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रम अपने ऊंचाईयों को छू रहा है भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण प्रद्यौगिकी निर्माण की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है, और आज भारत विश्वभर में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी आदर्श पहचान स्थापित कर रहा है। भविष्य में, इस प्रयास के साथ जुड़े नए और उन्नत अनुसंधानों से भारत अंतरिक्ष में अपने स्थान को मजबूत करेगा और अपनी उदार दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ मिलकर आपस में साझा करेगा।
- इसरो ने अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रम के तहत वैश्विक स्तर पर एक नई कामयाबी की ओर बढ़ते हुए अपने अभूतपूर्व योजनाओं और सफल प्रयासों के माध्यम से दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। इससे भारत में न केवल विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में उन्नति हो रही है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भारत अंतरिक्ष में अनुसंधान के क्षेत्र में उच्चतम मानकों के साथ अपनी उपस्थिति के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत का अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत द्वारा अंतरिक्ष में अनुसंधान कार्यक्रमों में पाई गई सफलता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2. रूस के रोस्कोस्मोस को उसकी अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकियों व प्रक्रियाओं के लिए जाना जाता है।
3. आईएम के ओडीसियस के सफर में लैंडर के उतरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
4. आईएम ने नासा के कमर्शियल चंद्र पेलोड सर्विसेज (सीएलपीएस) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपने ओडीसियस लैंडर को चंद्रमा पर लॉन्च किया।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 4

(B) केवल 2 और 3

(C) इनमें से कोई नहीं ।

(D) इनमें से सभी ।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की राह में आनेवाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हुए भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाले लाभों की भी विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

सामाजिक समूहों के लिए आरक्षण और कानून : मराठा आरक्षण विधेयक 2024

स्त्रोत्र – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, अनुच्छेद 15, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC), मराठा आरक्षण, संविधान संशोधन, आरक्षण का महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संसद और राज्य विधायिका की संरचना और कार्य, कार्य – संचालन की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार

खबरों में क्यों ?

- महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने 20 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जिसमें मराठों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया है।
- फरवरी 2024 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र विधा-नसभा ने महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 को पारित कर दिया है। इसके द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े श्रेणियों के अंतर्गत सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्राव-धान किया गया है।

मराठा आरक्षण विधेयक के प्रमुख प्रावधान :

- महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 को तैयार किया गया है।
- इस रिपोर्ट द्वारा मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के औचित्य को सही मानकर मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में पहचान की गई है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342A (3) के तहत यह विधेयक महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान करता है तथा इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत इस वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान करता है।

- अनुच्छेद 15(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 15(5) राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

- अनुच्छेद 342A (3) के अनुसार प्रत्येक राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (Socially and Educationally Backward Class- SEBC) की एक सूची तैयार कर उसे बनाए रख सकता है। ये सूचियाँ संबद्ध विषय की केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं।
- अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिनका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- इस विधेयक में क्रीमीलेयर का सिद्धांत भी लागू है जो इस के माध्यम से मराठा आरक्षण को उन मराठाओं के लिए दिया गया है जो क्रीमीलेयर श्रेणी की नहीं आते हैं और जिससे इस समुदाय के भीतर हाशिए पर रहने वाले लोगों को इसके तहत शामिल किया गया है।
- महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (इंदिरा साहनी निर्णय (वर्ष 1992)) द्वारा आरक्षण की निर्धारित 50% सीमा से ऊपर मराठा समुदाय को आरक्षण को उचित ठहराते हुए "असामान्य परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों" के आधार पर उचित ठहराते हुए प्रदान की गई है ।
- महाराष्ट्र में SC, ST, OBC, विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों एवं अन्य जैसी विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए अभी कुल 52% आरक्षण प्रदान किया गया है।
- महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने पर अब इस राज्य में आरक्षण की सीमा कुल 62 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी।

मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न आयोगों / समितियों की सिफारिशें :

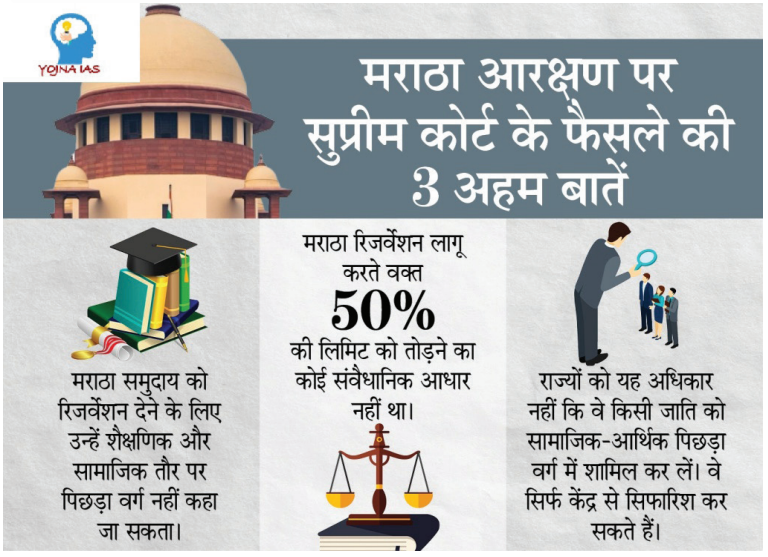

नारायण राणे समिति :

- नारायण राणे के नेतृत्व वाली समिति ने वर्ष 2014 में महाराष्ट्र में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले मराठा समुदायों के लिए 16% आरक्षण की सिफारिश किया था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया और इस सिफारिश पर ही रोक लगा दिया गया।

गायकवाड़ आयोग :

- गायकवाड़ आयोग के निष्कर्षों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2018 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Socially and Educationally Backward Class- SEBC) अधिनियम बनाया, जिसमें 16% आरक्षण दिया गया।
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की 50 प्रतिशत कोटा सीमा से अधिक होने के कारण इसमें अपर्याप्त अनुभवजन्य डेटा नहीं होने के कारण मई 2021 में आरक्षण की इस कोटि को पूरी तरह से रद्द करते हुए समाप्त कर दिया था ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी निर्णय, 1992 के मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक ही हो सकता है, किन्तु कभी – कभी किसी विशेष असामान्य और असाधारण स्थितियों में और दूर-दराज़ के क्षेत्र की आबादी को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण की तय सीमा 50 प्रतिशत से अधिक किया जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :

- दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुनील बी शुक्रे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी।
- महाराष्ट्र राज्य में मराठों की आबादी 28% है, जिनमे से 84 प्रतिशत लोग आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर उन्नत नहीं हैं। अतः शुक्रे आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पिछड़े समुदाय की आबादी को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- इस आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय की दुर्दशा का कारण उनकी अत्यधिक गरीबी, कृषि आय में गिरावट एवं भूमि स्वामित्व विभाजन को बताया है। इस आयोग ने महाराष्ट्र राज्य में आत्महत्या करने वाले किसानों में से अकेले 94 प्रतिशत किसान मराठा समुदाय से ही होते हैं को भी अपनी सिफारिशों में बताया।
- इस आयोग ने सार्वजनिक सेवाओं में मराठा समुदायों की अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को मराठा समुदाय के पिछड़े-पन के लिए एक ज़िम्मेदार कारक बताया।
- अतः आयोग ने मराठा समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में और महाराष्ट्र राज्य के अन्य विकसित क्षेत्रों में मराठा प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने की सिफारिशें भी प्रस्तुत की।

मराठा आरक्षण विधेयक के पक्ष में तर्क :

मराठा समुदायों का सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होना :

- शुक्रे आयोग ने मराठा समुदायों का सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होना शुक्रे आयोग का तथ्यात्मक शोध मराठा समुदाय के समक्ष आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर प्रकाश डालता है, जो उन्हें गरीबी

तथा हाशिए पर रहने से ऊपर उठाने के लिये आरक्षण की आवश्यकता का समर्थन करता है।

- मराठों के बीच किसान आत्महत्याओं का उच्च प्रतिशत उनके आर्थिक संकट की गंभीरता और समुदाय के उत्थान के लिये लक्षित हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।

सरकारी नौकरियों और सरकार में मराठा समुदायों का प्रतिनिधित्व का मामला :

- मराठों को उनके पिछड़ेपन के कारण ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा के अवसरों से बाहर रखा गया है। सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण से विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी में वृद्धि हो सकती है, जिससे समावेशी विकास में योगदान प्राप्त हो सकता है।

मराठा आरक्षण के विपक्ष में तर्क :

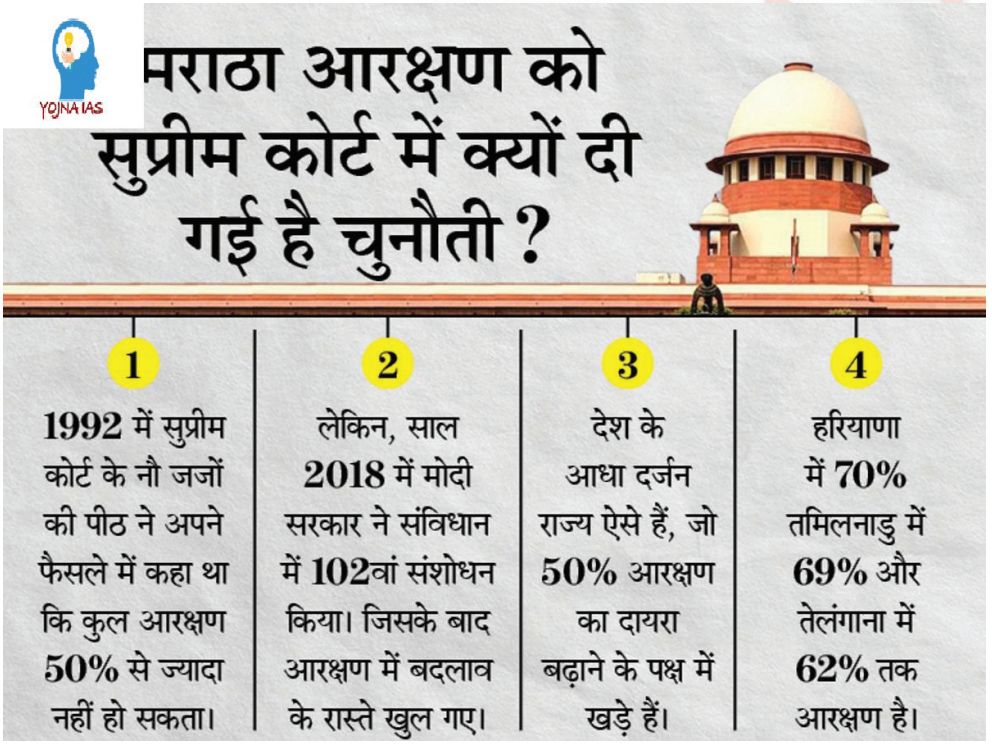

मराठा आरक्षण में न्यायिक जाँच और कानूनी पेचीदगियां :

- महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित मराठा आरक्षण विधेयक 2024 को अभी न्यायिक जाँच की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जिसमें अभी भी अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं,। क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण के संदर्भ में पूर्व में दिए गए निर्णय केआलोक में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक करने या आरक्षण की सीमा को और अधिक विस्तारित करने के मामले में अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी के कारण महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित मराठा आरक्षण को उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य एवं रद्द किया जा सकता है।

- महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान समय में पारित किए गए मराठा आरक्षण के पूर्व भी मराठा समुदायों को आरक्षण प्रदान किए जाने वाले प्रयासों को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व के निर्णय आरक्षण की सीमा का अतिक्रमण करने वाले कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और अंततः उच्च न्यायालयों में मराठा

आरक्षण को रद्द कर दिया गया था।

OBC आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए कुनबी जाति का प्रमाण – पत्र विवाद :

- OBC आरक्षण प्रमाण – पत्र बनाने के लिए पात्र "ऋषि सोयारे" (कुनबी वंश वाले मराठा समुदायों) को कुनबी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव करने वाली एक मसौदा अधिसूचना ने महाराष्ट्र राज्य में एक नए विवाद को जन्म दिया था ।
- महाराष्ट्र राज्य में विपक्षी दलों ने नए आरक्षण की व्यवहार्यता और मौजूदा OBC आरक्षण पर मराठा समुदायों को दिए जाने वाले आरक्षण को लागू करने पर भी प्रश्न खड़ा करना आरंभ कर दिया है।

मराठा समुदाय में व्याप्त असंतोष का कारण :

- मराठा समुदाय में व्याप्त असंतोष का मुख्य कारण, मराठा समुदाय के भीतर कुछ कार्यकर्त्ताओं और नेताओं ने OBC श्रेणी में ही मराठा समुदाय को शामिल किए जाने की प्राथमिकता पर अलग से आरक्षण दिए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया है।

दीर्घकालीन समाधान के लिए एक व्यावहारिक और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत :

- भारत में विभिन्न जाति समूहों, समुदायों और वर्गों को दिया जाने वाला आरक्षण व्यवस्था तात्कालिक समस्याओं का समाधान तो कर सकता है, लेकिन यह मराठा आरक्षण के संदर्भ में मराठों के बीच व्याप्त पिछड़ेपन के मूल कारणों को प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर सकता है। किसी भी देश में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या समुदायों के सतत् और स्थायी विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन करने वाला समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अतः मराठा आरक्षण के संदर्भ में भी मराठा समुदायों के पिछड़ेपन के मूल कारणों की पहचान कर उसका स्थायी समाधान करने की जरूरत है। ताकि आरक्षण के माध्यम से समाज के वंचित और कमजोर तबकों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी निर्णय, 1992 के मामले में आरक्षण की निर्धारित सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जा सकता है का निर्णय दिया था। अतः मराठा आरक्षण विधेयक 2024 में आरक्षण सीमा से अधिक आरक्षण प्रदान करने को कानूनी रूप से को उचित ठहराने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में एक व्यावहारिक एवं अनुभवजन्य डेटा प्रस्तुत करना होगा और मराठा आरक्षण विधेयक 2024 को कानूनी रूप से सही साबित करना होगा और इसके साथ – ही साथ मराठा आरक्षण विधेयक 2024 को न्यायिक जाँच का भी सामना करना होगा, ताकि महाराष्ट्र सरकार न्यायालय में मराठा आरक्षण को न्यायसंगत तरीके से दिए जानेवाला और उचित कारणों से प्रदान किए जानेवाला साबित कर सके।
- महाराष्ट्र सरकार को एक ऐसी एकीकृत नीति बनाना चाहिए जो जिससे मराठा समुदायों का समग्र विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार की लक्षित कल्याण कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं एवं कौशल विकास पहलों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को आरक्षण के साथ जोड़ कर मराठा समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके।
- महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदायों के पिछड़ेपन के मूल कारणों की पहचान कर सतत् विकास पहल को अल्पकालिक विचारों के आधार प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसका लक्ष्य सरकार द्वारा सभी समुदायों के लिए समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होता है।
- महाराष्ट्र राज्य को अपने सभी नागरिकों के प्रति समानता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और ऐतिहासिक रूप से हुए अन्याय के कारणों को दूर करने के उद्देश्य से भी मराठा समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई उपायों के द्वारा आपसी समझ तथा सबके समर्थन को बढ़ावा देकर सामाजिक एकजुटता एवं समावेशिता को बढ़ावा देना चाहिए , ताकि मराठा समुदायों को दिए जाने वाला आरक्षण उसके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक समृद्धि करने के उद्देश्य को सुनिश्चित कर सके।
- सार्वजनिक नीति में बदलाव की किसी भी मांग की वैधता उसके पीछे के तर्क में निहित होती है, न कि उसके पक्ष में जुटने वाले समर्थन की ताकत में निहित होती है । यही वजह है कि विभिन्न राज्यों द्वारा उन सामाजिक समूहों, जिन्हें पहले पिछड़ा नहीं माना जाता था, को आरक्षण देने की लोकप्रिय मांगों को समर्थन देने के बाद भी भारत के उच्चतम न्यायपालिका द्वारा उस राज्य के द्वारा दिए गए फैसलों को या तो रद्द कर दिया जाता है या फिर उस राज्य द्वारा दिए गए आरक्षण के फैसलों को उलट दिया जाता है।
- भारत में शिक्षा और आय आधारित महत्वपूर्ण अंतर – सामुदायिक भिन्नताओं की वजह से कई प्रकार के स्तरीकरण मौजूद हैं।
- भारत में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समूहों, वर्गों या जातियों की मांगों को पूरा करने में जुडी अनिश्चितताएं दशकीय जनगणना के विलंबित होने के साथ-साथ एक व्यापक सामाजिक – आर्थिक जनगणना कराने की जरुरत को बताती है।
- इस प्रकार की जनगणना भारत के विभिन्न राज्यों में व्याप्त पिछड़ेपन और सामाजिक स्तर पर होने वाली भेदभाव की असली कारणों को बताती है जिससे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आंकड़ों के आधार पर सरकारों द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके, तभी आरक्षण प्रदान करने के पीछे निहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और भारतीय समाज में एक सकारात्मक और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण विधेयक, 2024 को तैयार किया गया था।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342A (3) के तहत यह विधेयक महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान करता है।

3. इस विधेयक के द्वारा सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में मराठा समुदायों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

4. अनुच्छेद 15(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 4

(B) केवल 2 , 3 और 4

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 1, 2 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मराठा आरक्षण विधेयक 2024 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में आरक्षण वंचित और शोषित समुदायों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है अथवा यह नागरिकों के अवसर की समानता का हनन करता है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 – 23

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 – 23

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था के आधार पर अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच किए गए सर्वे के नतीजों के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा जारी किया है।
- अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस), घरेलू खर्च की आदतों का पता लगाने के लिए एनएसएसओ द्वारा हर पांच साल में आयोजित एक सर्वेक्षण होता है। भारत सरकार ने ' डेटा गुणवत्ता के मुद्दों ' का हवाला देते हुए 2017-18 के अंतिम सर्वेक्षण परिणामों को खारिज कर दिया था। उसके बाद, इस सर्वेक्षण

पद्धति में संशोधन किया गया। अब, उपभोग व्यय के लिए संशोधित कार्यप्रणाली की मजबूती और परिणामों की स्थिरता की जांच करने के लिए MoSPI 2022-23 और 2023-24 के लिए बैक-टू-बैक सर्वेक्षणों पर काम कर रहा है।

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट :

- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) घरेलू खर्च की आदतों का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है । यह घरेलू उपभोग पैटर्न, उनके जीवन स्तर और समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- भारत सरकार द्वारा जारी यह सर्वेक्षण रिपोर्ट एक पंचवार्षिक सर्वेक्षण होता है, अर्थात इसमें हर पांच साल के अंतराल पर जारी किया जाता है ।
- यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा संचालित किया जाता है, जो अब MoSPI में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत आता है।

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट का ऐतिहासिक महत्व :

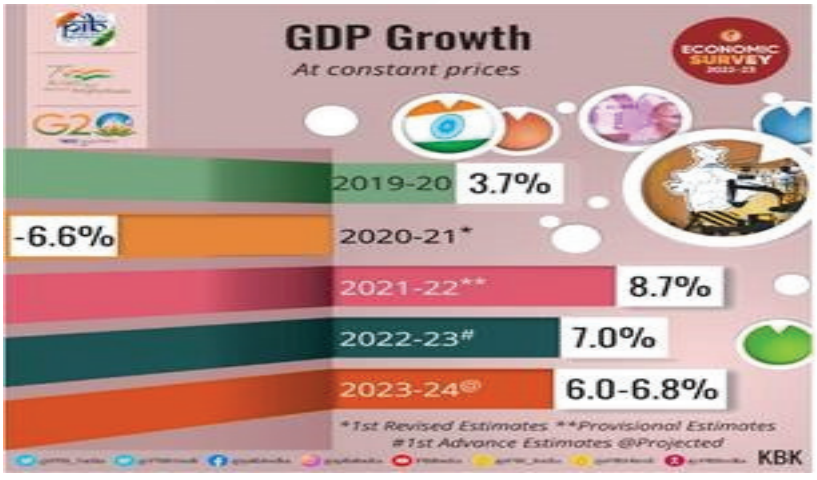

- भारत में यह सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 1972-73 से हर पांच साल में आयोजित किया जाता है ।

- 2017-18 में 'डेटा गुणवत्ता के मुद्दों' के कारण सर्वेक्षण के नतीजे रद्द कर दिए गए थे।
- वर्तमान में भारत सरकार ने वर्ष 2022- 23 और वर्ष 2023- 24 में नई पद्धति के अनुसार सर्वेक्षण किया जा रहा हैं।

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की नई पद्धति :

भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के द्वारा अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की नई पद्धति में, कई नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। जिसे निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है –

- उपभोग टोकरी को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित करना
- खाद्य पदार्थ , उपभोग्य वस्तुएं और सेवाएंऔर टिकाऊ सामान।
- खाद्यान्न जैसी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त वस्तुओं और सब्सिडी पर जानकारी मांगने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है।

ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्रति व्यक्ति के उपभोग के बीच अंतर :

ग्रामीण और शहरी प्रति व्यक्ति खपत के बीच अंतर कम हो रहा है, हालांकि, वास्तविक रूप से ग्रामीण प्रति व्यक्ति व्यय वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है । नाममात्र और वास्तविक दोनों संदर्भों में, ये वृद्धि दरें पिछले दो सर्वेक्षणों के बीच की अवधि की तुलना में कम हैं।

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट का निष्कर्ष :

Food spending

Share of cereals and food in average monthly per capita consumption expenditure decreased in both rural and urban areas

Period	RURAL		URBAN	
	% share of cereals	% share of food	% share of cereals	% share of food
1999-00	22.23	59.4	12.39	48.06
2004-05	17.45	53.11	9.63	40.51
2009-10	13.77	56.98	8.16	44.39
2011-12	10.75	52.9	6.66	42.62
2022-23	4.91	46.38	3.64	39.17

औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में वृद्धि :

- भारत में प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि परिवारों की बढ़ती डिस्पोजेबल आय , ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करने और गरीबी के स्तर में गिरावट का संकेत देती है ।
- वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 की अवधि में शहरी व्यक्तियों की व्यय की तुलना में ग्रामीण प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है
- ग्रामीण प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में 164% की वृद्धि हुई है । यह 2011-12 में 1,430 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,773 रुपये हो गया है । सी। शहरी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में 146% की वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2011-12 में 2,630 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 6,459 रुपए हो गया है ।

ग्रामीण और शहरी स्तर पर भोजन में व्यय की हिस्सेदारी में गिरावट :

- भारत में खाद्य पदार्थ में व्यय की हिस्सेदारी में गिरावट उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं , कपड़े और जूते और मनो-रंजन में परिवारों के खर्च को बताती है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार – शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर पर प्रति व्यक्ति भोजन पर व्यय का हिस्सा धीरे-धीरे कम हो गया है।
- ग्रामीण भारत में ,औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में भोजन का हिस्सा वर्ष 1999-2000 में 59.46% से गिरकर वर्ष 2022-23 में 46.38% हो गया है
- शहरी भारत में ,औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में भोजन का हिस्सा 1999-2000 में 48.06% से गिरकर 2022-23 में 39.17% हो गया है ।

भोजन व्यय में विभिन्न खाद्य पदार्थों पर होने वाले व्यय का हिस्सा :

- भारत में इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह डेटा केवल अनाज (चावल, गेहूं), बेहतर पोषण (अंडे, मछली, मांस, फल और सब्जियां) के लिए खर्च की गई धनराशि का पता लगाने में मदद करता है।
- पिछले दो दशकों में शहरी परिवारों की तुलना में ग्रामीणउच्च मूल्य वाली पोषण संबंधी वस्तुओं (अंडे, मछली, मांस, फल और सब्जियां) पर खर्च अधिक बढ़ गया है ।
- उच्च मूल्य वाली पोषण संबंधी वस्तुओं पर ग्रामीण घरेलू खर्च 1999-2000 में 11.21% से बढ़कर 2022-23 में 14% होहै। अनाज पर खर्च 1999-2000में 22% से घटकर 2022-23 में 4.91% हो गया हैसी। उच्च मूल्य वाली पोषण संबंधी वस्तुओं पर शहरी घरेलू खर्च 1999-2000 में 10.68% से मामूली रूप से बढ़कर 2022-23 में 11.7% होहै। अनाज पर खर्च 1999-2000में 12% से घटकर 2022-23 में 3.64% हो गया है।

प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय :

- भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के द्वारा अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट डेटा विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा प्राप्त मूल्य मुक्त वस्तुओं को जोड़कर व्यय पर प्रभाव का पता लगाने में मदद करता हैयह डेटा विभिन्न आय समूहों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को उजागर करने में भी मदद करता है।
- ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर अनुमानित एमपीसीई औसत एमपीसीई की तुलना में अधिक है जिसमें

मुफ्त वस्तुएं शामिल नहीं हैं।

- ग्रामीण आबादी के शीर्ष 5% का अनुमानित एमपीसीई इसके निचले 5% से 7.65 गुना अधिक है।
- शहरी आबादी के शीर्ष 5% का अनुमानित एमपीसीई इसके निचले 5% से 10 गुना अधिक है।

भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यवार उपभोग व्यय :

- भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यवार उपभोग व्यय डेटा राज्यवार उपभोग व्यय को संकलित करके यह तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है और किसी विशेष राज्य में परिवारों की आर्थिक-कल्याण पर एक तस्वीर प्रस्तुत करता है।
- सिक्किम में ग्रामीण (7,731 रुपये) और शहरी परिवारों (12,105 रुपये)दोनों के लिए एमपीसीई सबसे अधिक है।
- छत्तीसगढ़ में ग्रामीण (2,466 रुपये) और शहरी परिवारों (4,483 रुपये)के लिए सबसे कम एमपीसीई है।

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट का महत्व :

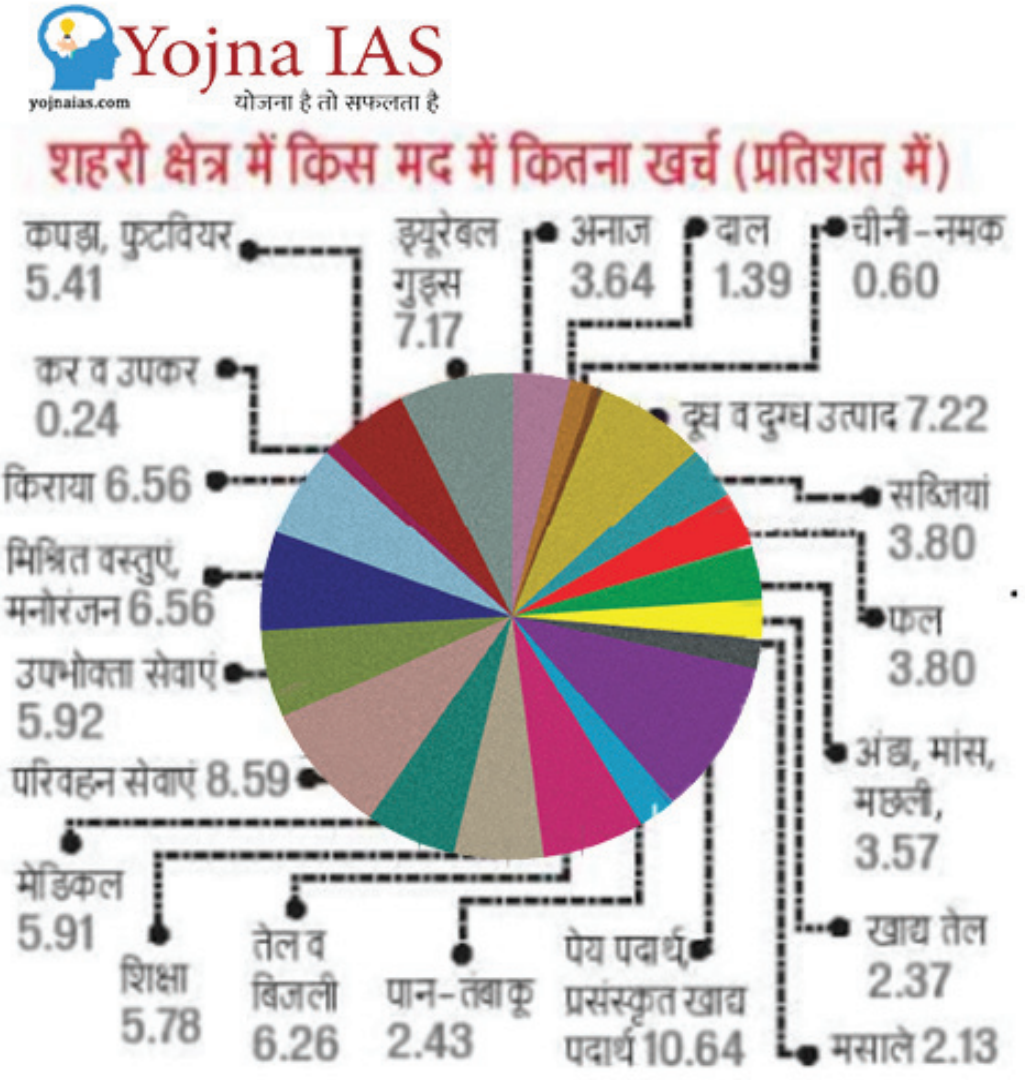

मुद्रास्फीति को सटीक रूप से पकड़ने के लिए घटकों के वेटेज को बदलना :

उपभोग व्यय सर्वेक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के विभिन्न घटकों के लिए वेटेज निर्दिष्ट करने और बदलने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है । पूर्व के लिए- सर्वेक्षण डेटा के अनुसार सीपीआई में भोजन के लिए वेटेज कम करना ।

अर्थव्यवस्था का वृहद विश्लेषण :

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण डेटा का उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों का विश्लेषण करने और जीडीपी और गरीबी के स्तर को फिर से निर्धारित करने जैसे उपाय करने के लिए किया जाता है ।

आर्थिक विकास के रुझान और असमानताओं का आकलन :

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी भारत के बीच प्रति व्यक्ति खर्च में कम होते अंतर का संकेत देता है। हालाँकि, यह परिवारों के भीतर व्यापक आय अंतर को भी उजागर करता है , शीर्ष 5% परिवार निचले 5% की तुलना में काफी अधिक खर्च करते हैं।

नीति निर्माताओं के लिए फाइन-ट्यूनिंग टूल :

इम्प्यूटेड एमपीसीई उपभोक्ता के बदलते व्यय व्यवहार को समझकर सामाजिक योजनाओं को फाइन-ट्यून करने के लिए नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश :

राज्य सरकारें तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से सीखकर लोगों के हाथों में खर्च करने योग्य आय बढ़ाने के लिए अपनी बजटीय रणनीतियों को फिर से तैयार करने के लिए सर्वेक्षण का उपयोग कर सकती हैं ।

उद्योग के लिए पूर्वानुमान उपकरण :

यह सर्वेक्षण रिपोर्ट उद्योगों को बदलते उपभोक्ता व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करता है , जो उन्हें अपनी रण-नीतियों को परिष्कृत करने और उभरते बाजारों में प्रवेश करने में मदद करता है।

अखिल भारतीय घरेलू उपभोग सर्वेक्षण रिपोर्ट की चुनौतियाँ :

संशोधित पद्धति की मजबूती :

वर्ष 2022-23 का नवीनतम सर्वेक्षण संशोधित पद्धति के अनुसार किया गया है। संशोधित कार्यप्रणाली की मजबूती की पुष्टि के लिए 2023-24 के लिए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का अगला सेट आवश्यक है ।

छोटा डेटा सेट:

इस सर्वेक्षण में 2.62 लाख घरों (1.55 लाख-ग्रामीण क्षेत्र और 1.07 लाख-शहरी क्षेत्र) को शामिल किया गया है। यह भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश के लिए एक छोटा सा नमूना आकार है ।

अस्थायी और क्षेत्रीय भिन्नताएँ :

सटीक सर्वेक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए घरेलू व्यय में सटीक मौसमी विविधताओं और क्षेत्रीय असमानताओं को शामिल करना एक और बड़ी चुनौती है।

दबी हुई मांगों के जोखिम :

इस सर्वेक्षण में 2020 और 2021 में कोविड के दो लंबे वर्षों के बाद आयोजित किया गया है। वर्ष 2022 , जिसमें सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, पिछले दो कोविड वर्षों की तरह, दबी हुई मांग का वर्ष रहा है। दबी हुई माँगों को देखा था। इसलिए, डेटा की सटीकता की पुष्टि आगामी सर्वेक्षणों से की जा सकती है।

निष्कर्ष / समाधान :

सामाजिक कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए डेटा का उपयोग करना :

अखिल भारतीय उपभोग व्यय सर्वेक्षण डेटा का उपयोगसरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव को मापने के लिए किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के लिए सर्वेक्षण को अंतिम रूप देना :

वर्ष 2023-24 के लिए सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के लिए और इस कार्यप्रणाली की मजबूती की पुष्टि के लिए 2023-24 के सर्वेक्षण परिणामों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण का नियमितीकरण :

सामान्य पंचवर्षीय सर्वेक्षण चक्र (हर पांच साल में आवर्ती) स्थापित करने के लिए नई सर्वेक्षण पद्धति को जल्द से जल्द संस्थागत बनाया जाना चाहिए ।

मुद्रास्फीति सूचकांकों के आधारों में बदलाव की प्रतीक्षा की जानी चाहिए :

- यह सर्वेक्षण रिपोर्ट दबी हुई मांग के वर्ष में आयोजित किया गया था, इसलिए सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर मुद्रास्फीति सूचकांकों में विभिन्न मापदंडों के भार में कोई भी बदलाव महत्वपूर्ण आधार पेश करेगा ।
- एक सटीक, पारदर्शी और व्यापक उपभोग व्यय सर्वेक्षण डेटा अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज को आकार देने में मदद करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय और भारत का संघीय स्वरूप

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था , भारत का संघीय स्वरुप , केंद्र – राज्य संबंध, प्रवर्तन निदेशालय, धन शोधन , काला धन ,धन शोधन कानून, 2002, बेनामी लेनदेन (निषेध)

संशोधन अधिनियम 2016, मद्रास उच्च न्यायालय , उच्चतम न्यायालय , केंद्र – राज्य संबंध।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के केंद्रीय कानूनों के तहत तमिलनाडु राज्य को प्रवर्तन निदेशालय के जांच में सहयोग के लिए तमिलनाडु के कर्तव्य को रेखांकित करते हुए अपना फैसला सुनाया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार पहले जिला कलेक्टरों को जारी समन स्थगित कर दिए गए थे।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जारी समन के पालन के लिए जिला कलेक्टर बाध्य हैं।
- हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तमिलनाडु के कलेक्टरों को बुलाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि तमिलनाडु राज्य में अवैध बालू खनन भ्रष्टाचार के चलते है या इससे 'हासिल धन' का शोधन किया जा रहा है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) ईडी को विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा पंजीकृत अपराधों के धन शोधन के पहलू की जांच करने की इजाजत देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि, अनियंत्रित खनन के के आधार पर सरकारी खजाने को संभावित नुकसान के आकलन का ईडी का प्रयास उसके अधिकार-क्षेत्र में है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को 'कानून की बिल्कुल गलत समझ' बताया था। उसने जांच के लिए जरूरी कोई रिकॉर्ड पेश करने या सबूत देने के लिए किसी भी व्यक्ति को तलब करने की ईडी की शक्ति से जुड़ी पीएमएलए की धारा 50 का हवाला दिया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात का जिक्र किया कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच तमिलनाडु में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों पर आधारित है और इस मामलों में कुछ धाराएं पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के "विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ' (2022) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएमएलए को सही ठहराने वाले निर्णय पर आधारित था को कोई महत्व नहीं दिया है ।
- भारत के केंद्र – राज्य संबंधों के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार और संबंधित जिला कलेक्टरों ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा राज्य की शक्तियों को 'हथियाने' और समनों की वैधता के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की थीं।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने 2022 के फैसले में कहा था कि ईडी मामलों को इस कल्पना या अपने धारणात्मक आधार पर, आगे नहीं बढ़ा सकती कि कोई अपराध हुआ है।
- अनुमति से अधिक या बिना किसी अनुमति के निकासी के जरिए, बेलगाम अवैध बालू खनन तमिलनाडु में काफी

आम है।

प्रवर्तन निदेशालय :

- भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना सन 1956 में किया गया था।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है।
- प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कार्यों में; फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, "हवाला" लेन देनों और विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन और फेमा के तहत अन्य प्रकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना शामिल है।
- भारत में धन शोधन पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के नियमों के तहत कार्यवाही करता था लेकिन बाद में इसे फेरा को फेमा के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय की संरचना :

- **भारत में प्रवर्तन निदेशालय के कुल 10 क्षेत्रीय कार्यालय है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक उप – निदेशक होते हैं और इनका 11 उप – क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक उप – क्षेत्रीय**

कार्यालय का नेतृत्व एक सहायक निदेशक करता है।

भारत में प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम निम्नलिखित है –

1. मुंबई
2. दिल्ली
3. चेन्नई
4. कोलकाता
5. चंडीगढ़
6. लखनऊ
7. कोचीन
8. अहमदाबाद
9. बैंगलोर
10. हैदराबाद

प्रवर्तन निदेशालय के मुख्य कार्य :

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है –

भारत में प्रवर्तन निदेशालय फेमा के प्रावधानों के तहत संदिग्ध मामलों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है। भारत में संदिग्ध मामलों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में निम्नलिखित मामलों को शामिल किया गया है –

1. निर्यात मूल्य को अधिक आंकना और आयात मूल्य को कम आंकना।
2. हवाला के तहत किया गया लेनदेन।
3. भारत के बहार विदेशों में संपत्ति को खरीदना।
4. विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में अवैध रूप करना से संग्रह करना।
5. विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से व्यापार करना।
6. विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन और फेमा के तहत अन्य प्रकार के उल्लंघन से संबंधित मामला।

- भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) सबसे पहले फेमा के 1999 के कानूनों के तहत उल्लंघन किए जाने वाले मामले के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करता है, और फिर उसे भारत में उस मामले से संबंधित एजेंसियों के साथ उसे साझा करता है। भारत में प्रवर्तन निदेशालय को केंद्र और उस राज्य से संबंधित की खुफिया एजेंसियों के माध्यम से शिकायतों आदि से खुफिया और गुप्त जानकारी प्राप्त होती है।
- भारत में प्रवर्तन निदेशालय के पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए दोषियों की संपत्ति को कुर्की करने या जब्त करने का अधिकार है।
- धन शोधन अधिनियम [धारा 2 (1) (D)] के अध्याय III के तहत "संपत्ति की कुर्की" का अर्थ है – संपत्ति की जब्ती,

संपत्ति का अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करना या रूपांतरण करना और उक्त संपति को बेचने पर रोक लगाना शामिल है।

- धन शोधन अधिनियम के तहत इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ; खोज, जब्ती, गिरफ्तारी, और अभियोजन की कार्रवाई आदि करना भी शामिल है।
- मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अंतर्गत धन शोधन के अपराधी के हस्तांतरण के लिए संबंधित राज्यों से कानूनी रूप से प्रत्यार्पण करवाना और . इसके अलावा अपराधियों के हस्तांतरण से संबंधित कार्यवाही पूरी करना शामिल है ।
- भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED)को भारत में पूर्व के FERA कानून 1973 और उसके बाद FEMA, 1999 के उल्लंघन के मामलों को निपटाने और निपटान कार्यवाही के समापन पर लगाए गए दंड का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है।
- इस प्रकार प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना शामिल है।

धन शोधन / मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ :

- **'मनी लॉन्ड्रिंग'** शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी. माफिया समूहों ने जबरन वसूली, जुआ इत्यादि से भारी मात्रा में कमाई की और इस पैसे को वैध स्रोत (जैसे लाउन्डोमेट्स) के रूप में दिखाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1980 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग एक चिंता का विषय बन गया था।
- भारत में, **"मनी लॉन्ड्रिंग"** को लोकप्रिय रूप में हवाला लेनदेन के रूप में जाना जाता है. भारत में यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक के दौरान हुआ था जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे।
- मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है।
- धन शोधन के माध्यम से प्राप्त धन को ऐसे कामों या ऐसे निवेश में लगाया जाता है कि जाँच करने वाली एजेंसियां

भी धन के मुख्य स्त्रोत का पता नही लगा पातीं है।

- अवैध तरीके से प्राप्त धन शोधन की प्रक्रिया में जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको **"लाउन्डरर"** कहा जाता है।
- धन शोधन की प्रक्रिया में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है।

धन शोधन की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन चरण शामिल होते हैं –

1. **प्लेसमेंट (Placement)**
2. **लेयरिंग (Layering)**
3. **एकीकरण (Integration)**

प्लेसमेंट (PLACEMENT) :

- धन शोधन की प्रक्रिया में पहले चरण के अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से है। इसमें लाउन्डरर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद रूप में जमा करता है।

लेयरिंग (LAYERING) :

- धन शोधन की प्रक्रिया में दूसरा चरण 'लेयरिंग' धन छुपाने से सम्बंधित है. इसमें लाउन्डरर लेखा किताब में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेनदेन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लाउन्डरर, धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि – बांड, स्टॉक, और ट्रैवेलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है. यह खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो कि भारत की मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नही करते हैं।

एकीकरण (INTEGRATION) :

- धन शोधन की प्रक्रिया का अंतिम चरण **एकीकरण का** है। इस प्रकिया के माध्यम से भारत के बाहर भेजा पैसा या देश के अन्दर में ही खपाया गया पैसा वापस लाउन्डरर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश या अचल संपत्ति खरीदने या लक्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से अपने मूल मालिक के पास वापस आ जाता है।

धन शोधन में शामिल की गई गतिविधियाँ :

- धन शोधन करने के कई तरीके हो सकते हैं जिनमे सबसे महत्वपूर्ण है – **" फर्जी कंपनी बनाना "** जिन्हें **" शैल कंपनियां "** भी कहा जाता है।
- शैल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कम्पनी होती है लेकिन वास्तव में इसमें कोई संपत्ति नही लगी होती है और ना ही इनमें वास्तविक रूप में कोई उत्पादन कार्य ही होता है।
- ये शैल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नही होता है, लेकिन लाउन्डरर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े – बड़े लेन – देनों को दिखाता है।
- लाउन्डरर इन कंपनियों कंपनी के नाम पर लोन लेता है और सरकार से टैक्स में छूट भी लेता है, लेकिन आयकर रिटर्न नही भरता है और इन सब फर्जी कामों के माध्यम से वह बहुत सा काला धन जमा कर लेता है।
- यदि कोई थर्ड पार्टी उसके वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहती है, तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जाँच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेजों को दिखा दिया जाता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है – किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम करके दिखाना जबकि उस खरीदी गयी संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसे सरकार को कम ' **कर** ' देना पड़े. इस प्रकार ' **कर चोरी** ' के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है।
- धन शोधन का एक अन्य तरीका यह होता है जब **लाउन्डरर** कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों के बैंकों में जमा करा देता हैं जहाँ उसके खाते की जाँच का अधिकार भारत सरकार या किसी अन्य देश की सरकार को नही होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्ज़रलैंड है जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि धन शोधन करके कमाया गया है।

भारत में धन शोधन के लिए धन शोधन कानून, 2002 :

- भारत में धन शोधन कानून, 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन (2005, 2009 और 2012) किया जा चुका है। वर्ष 2012 में इसमें हुए आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और यह कानून 15 फरवरी 2013 से पूरे भारत लागू हो गया था। पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना (concealment), अधिग्रहण (acquisition) कब्ज़ा (possession) और धन का आपराधिक कामों में उपयोग करना (use of proceeds of crime) इत्यादि को शामिल किया गया है।
- PMLA, 2002 में आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को पीएमएलए के तहत लाया गया है और इसलिए इस अधिनियम के तहत के सभी प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 :

- इस अधिनियम ने मूल अधिनियम बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 में संशोधन किया और इसका नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 कर दिया।अधिनियम ने बेनामी लेनदेन को एक लेन देन के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ:एक संपत्ति किसी व्यक्ति के पास होती है या उसे हस्तांतरित की जाती है लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान या भुगतान की जाती है। फर्जी नाम से किया गया लेन – देन मालिक को संपत्ति के स्वामित के बारे में जानकारी नहीं होती है, संपत्ति के लिए दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति जाँच करने योग्य नहीं होता है।

अपीलीय न्यायाधिकरण :

- इस अधिनियम में न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान है।

- अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है।
- विशेष न्यायालय को शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करनी होगी।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- धन शोधन की प्रक्रिया काफी जटिल और चालाकी भरी है जिसको रोकने के लिए भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के लिए भारत में वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए।
- भारत में धन शोधन के खिलाफ वर्तमान में ऐसे कानून है कि यह भारत के संघीय स्वरुप और संघीय सिद्धांतों के संभावित उल्लंघन के रूप में हमारे सामने आता है। भारत में धन शोधन के खिलाफ कानूनों को और अधिक कठोर , पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की जरूरत है ताकि भारत में काले धन को संग्रह करने के खिलाफ रोक लगाया जा सके।
- प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के द्वारा तमिलनाडु के कलेक्टरों को तलब करने के पीछे जो भी वजह रहा हो , किन्तु यह भारत के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के स्वतंत्र अस्तित्व और उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। अतः यह आवश्यक है कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय को बिना किसी दबाव या गलत मंशा के बगैर उसे अपना कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से करना चाहिए ।
- भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा केंद्र में सत्तासीन सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा शासित राज्यों के खिलाफ केन्द्रीय जाँच एजेंसियों का दुरुपयोग करने , विपक्षी राजनीतिक दलों को डराने या पक्षपाती होने का आरोप लगाया जाता रहा है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय जाँच एजेंसियों को भी निष्पक्ष , स्वतंत्र और तटस्थ रहने की जरूरत है और भारत के संविधान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्राप्त शक्तियों को बिना किसी पक्षपात एवं निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित करने की जरूरत है ताकि भविष्य में भारत में केंद्र – राज्य संबंधों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना सन 1996 में किया गया था।
2. यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
3. भारत में प्रवर्तन निदेशालय के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय है।
4. भारत में प्रवर्तन निदेशालय के पास फेमा के उल्लंघन के दोषी पाए गए दोषियों की संपत्ति को कुर्की करने या जब्त करने का अधिकार है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2

(C) केवल 3 और 4

(D) केवल 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के प्रवर्तन निदेशालय की संरचना और मुख्य कार्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि क्या भारत में केंद्र – राज्य संबंधों के तहत किसी भी केन्द्रीय जाँच एजेंसी का दुरूपयोग करना भारत के लोकतांत्रिक स्वरुप के अनुकूल है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

Yojna IAS
yojnaias.com